

बिहार सरकार


स्वास्थ्य विभाग

आदेश

ग्रामीण/दूरस्थ क्षेत्रों में अप्रशिक्षित एवं कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों को राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के द्वारा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) के संयुक्त तत्वाधान में "जन स्वास्थ्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम" (एक वर्षीय) के तहत प्रशिक्षित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा एक जनोपयोगी कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम के सुचारु रूप से संचालन के निमित्त विभागीय अधिसूचना सं०-466 (12) दिनांक-26.06.2015 द्वारा राज्य परामर्श दातृ समिति का गठन किया गया है। इसी क्रम में उक्त परामर्श दातृ समिति में निम्नलिखित पदाधिकारियों को विभाग द्वारा मनोनीत किया जाता है :-

क्रम सं०	नाम	पदनाम
1	डा० नागेश्वर प्रसाद, संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना	उपाध्यक्ष
2	डा० उदय शंकर चौधरी, उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना	सदस्य
3	सिविल सर्जन, पटना	पदेन सदस्य

2. प्रस्ताव में सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।



(शंकर प्रसाद)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक- 482(12)

पटना, दिनांक- 09.07.2015

प्रतिलिपि-1. राज्य परामर्श दातृ समिति के सभी मनोनीत पदाधिकारियों/अन्य पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

- 2.. प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
3. संयुक्त निदेशक (शैक्षिक) एवं क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, ललित भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-800001 को उनसे प्राप्त पत्रांक-NIOS/RC/PAT/353 A दिनांक-02.06.2015 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
4. प्रशासी पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
5. सभी सिविल सर्जन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
6. राज्य के सभी 38 जिलों में कार्यरत 149 FRU(First Referral Unit)/533(PHC) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
7. प्रभारी पदाधिकारी, राज्य परामर्शदातृ समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
8. सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
9. सभी ग्रामीण चिकित्सा सेवा समन्वय समिति/सभी स्वास्थ्य प्रबंधक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
10. आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि वे इस आदेश को सभी संबंधितों के वेबसाईट पर डालना सुनिश्चित करेंगे ।


(शंकर प्रसाद)/7
विशेष कार्य पदाधिकारी ।